

ASSISTANT ENGINEER (O&M) AVVNL, BEGUN

क्रमांक/स.ह./क्रि/पंजाब/3132

म.27/9/22

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- एफ 5 () वसु/मुवसं/2022-23/3125 दिनांक 5.5.2022 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Creation of 33/11 KV line to new grid sub station Jogniya Mata

यूजर एजेन्सी का नाम :- AEn (O&M) AVVNL Begun

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 7.80 Hac. (Chittorgarh)

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Chittorgarh & Chittorgarh Territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/TRANS/50545/2020 12.10.2020

1. यूजर एजेन्सी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पार्ट-I Online में 6.54 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन चाहा गया है एवं Offline प्रस्ताव में 0.805 हेक्टेयर का डायवर्जन चाहा गया है अन्य डाटा भी मिलान नहीं खा रहे है। इस प्रकार Online एवं Offline प्राप्त प्रस्तावों में विरोधाभास है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त प्रकरण 6.54 हेक्टेर का है जिससे सम्बन्धित Online व Offline समस्त दस्तावेज में 6.54 हेक्टेर के ही संलग्न किये गये है।
2. पार्ट-I में यूजर एजेन्सी द्वारा Offline प्रस्ताव में 5 नियमित एवं 9 अस्थायी रोजगार सृजन होना बतलाया गया है जबकि Online प्रस्तावों में दोनों तरह के 4-4 पदों का रोजगार सृजन बताया गया है।	उक्त प्रकरण में Offline व online दोनों प्रस्तावों में 4-4 स्थाई व अस्थायी रोजगार सृजन किये गये है। ऑफलाईन संशोधित प्रति संलग्न कर दी गई है।
3. पार्ट-I में Additional information Detail में 31 PDF online upload की गई है जबकि पार्ट-I की हार्ड कॉपी के अनुसार 11 PDF ही संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त प्रकरण में क्र.सं. 31 ऑनलाईन संलग्न की है तथा साथ ही ऑफलाईन भी 31 दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिसकी b.MsDI सूची पत्र के साथ संलग्न है।
4. डायवर्ट होने वाली Land की KML File पर Forest boundary superimpose करने पर वन सीमा Mismatch हो रही है।	उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि की गणना राजस्व नक्शे के अनुसार Geo-reference कर संलग्न की गई है। जो कि पुनः संशोधित कर अपलोड कर दी गई है।
5. पार्ट-II में CA, DFL का प्राक्कलन 7994800 का संलग्न है मगर CA scheme project में यह राशि 7994500 ही ली गई है। वर्षवार व्यय राशि में भी असमानता है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
6. औषधीय पौधों का एस्टीमेट 640237 रुपये प्रगति हेक्टेयर लिया जाना चाहिये था जो 1061743 रुपये प्रति हेक्टेयर लिया गया है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
7. औषधीय पौधों का प्राक्कलन 0 वर्ष के अतिरिक्त 11 वर्ष का और लिया जाना था मगर प्रस्तुत प्राक्कलन 0 वर्ष के अतिरिक्त 12 वर्ष का लिया गया है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
8. प्रस्ताव में संलग्न समस्त अण्डरटेकिंग समस्त जी.टी. शीट/नक्शे एवं जमाबन्दी आदि प्रपत्रों पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर नहीं है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।

Enclosed :- As Above

Assistant Engineer

(O&M) AVVNL

सहायक Begun (प.व.स.)

अ. वि. वि. वि. वि. वि. वि.
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)